भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 24

उत्तर देने की तारीख: 19.07.2021

विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

†24. श्री बी. मणिक्कम टैगोर.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री डी.एन.वी..सेंथिल कुमार एस:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 के प्रथम और द्वितीय चरण के दौरान शिक्षा संस्थानों के बंद रहने और ऑनलाइन क्लासें लेने के कारण लाखों विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्कूल ऑर कॉलेज छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या का आंकलन किया है;
(ग) क्या सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जानकारी संकलित करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन माड्यूल बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य हैं;
(घ) क्या सरकार के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को इस सिलसिले में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और
(ड.) क्या सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों, जिनके माता-पिता या अभिभावकों का कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार नहीं रहा है, को वित्तीय सहायता देने या उनकी फीस माफ करने की कोई योजना शुरू की है या करने का विचार है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) : शिक्षा मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों से प्रवासी बच्चों की पहचान करने और ऐसे सभी बच्चों को बिना किसी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के दाखिला देने तथा

दाखिला प्राप्त बच्चों का डाटाबेस बनाने का अनुरोध करते हुए पढ़ाई बीच में छोड़ने, कम नामांकन और अधिगम हानि को रोकने के लिए प्रवासी बच्चों की पहचान, सुचारू प्रवेश प्रक्रिया और निरंतर शिक्षा के संबंध में 13 जुलाई, 2020 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, गुणवत्ता और समानता के साथ बच्चों की शिक्षा तक पहुंच और देश में स्कूली शिक्षा पर महामारी के कम से कम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने 7 जनवरी, 2021 को सभी राज्यों के साथ दिशा-निर्देश साझा किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ 6-18 वर्ष की आयु के स्कूली शिक्षा से बाहर बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता सृजन, स्कूल बंद होने पर छात्र को सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए (सीडब्ल्युएसएन) निरंतर शिक्षा, पुन: स्कूल खोलने पर छात्र सहायता और शिक्षक क्षमता निर्माण शामिल हैं।

साथ ही, 4 मई 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक व्यापक कोविड कार्य योजना को साझा किया गया है, जिसमें स्थानीय निकायों की भूमिका, गाँव/शहर स्तर पर नोडल समूह का गठन, स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान करने के लिए डोर-टू-डोर/हेल्पडेस्क-आधारित / ऐप आधारित सर्वेक्षण का आयोजन, उन्हें मुख्यधारा में लाना और संसाधनों को साझा करना शामिल है।

(ग) और (घ): जी हां। इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर बच्चों (ओओएससी) के आंकडों के संकलन और प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनके मानचित्रण के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्कूल से बाहर बच्चों को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई ओओएससी और एसटीसी की बाल-वार जानकारी को मान्य करता है।

(ड.): निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार को अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए, स्कूलों की फीस और उसके घटकों से संबंधित मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार ही विनियमित होते हैं।

****